

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी - सुप्रिया (आर.ए.एस.)

मु0न0 :- 398/2022 उनवान गोरधन वनाम राजेश वगै0
गोरधन वादी

वनाम
राजेश वगैरह (प्रतिवादी)
दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन
--: निर्णय :-

दिनांक : 04.07.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 398/2022 उनवान गोरधन वनाम राजेश वगै0 वनाम में वाद वादी दिनांक 28.03.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2023/676 दिनांक 13.05.2024 प्रस्तुत करने पर वहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम रणजीतपुरा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.80 हैक्टर, 34 रकबा 1.28 हैक्टर, ख.न. 32 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.न. 33 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.न. 179 रकबा 2.59 हैक्टर, ख.न. 180 रकबा 2.76 हैक्टर, ख.न. 181 रकबा 0.07 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	जगदीश पुत्र रामलाल हि. 1/6, सुभाष पुत्र रामलाल हि. 1/6, बृजलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 2/3,	180 मी. 181मी.	2.68 0.03	बारानी 3 गैमु.सडक
	योग	किता 02	2.71	बारानी 3
2	गोरधन पुत्र महावीर 1/3 हिस्सा रहन हिस्सा 1/4 बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा, राजेश पुत्र महावीर हिस्सा 1/3, बुधराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3	179 180 मी. 181 मी.	2.59 0.08 0.04	बारानी 3 बारानी 3 गैमु.सडक
	योग	किता 03	2.71	बारानी 1
3	गोरधन पुत्र महावीर 1/3 हिस्सा रहन हिस्सा 1/4 बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा, राजेश पुत्र महावीर हिस्सा 1/3, बुधराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3	32 ढाणी 33 ढाणी 34 5	0.01 0.02 1.28 0.80	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1
	योग	किता 04	2.11	बारानी 1

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुन्झुनू

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनू (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा वादत घोषणार्थ एवं वंटवारा
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 1. :- 398/2022 उनयान गोरधन बनाम राजेश वगै0

यह मुकदमा आज वास्तु इफिसला कतई रुवरु, सुप्रिया(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
वहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुददई रुवरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुददालय पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2024 निर्णय वाद वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम ग्राम रणजीतपुरा की सरहद में कृषि
भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.80 हैक्टर, 34 रकबा 1.28 हैक्टर, ख.न. 32 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.न. 33 रकबा 0.02
हैक्टर, ख.न. 179 रकबा 2.59 हैक्टर, ख.न. 180 रकबा 2.76 हैक्टर, ख.न. 181 रकबा 0.07 का निम्न प्रकार
खातदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	जगदीश पुत्र रामलाल हि. 1/6, सुभाष पुत्र रामलाल हि. 1/6, वृजलाल पुत्र रामलाल हिस्सा 2/3,	180 मी. 181मी.	2.68 0.03	बारानी 3 गैमु.सडक
	याग	किता 02	2.71	बारानी 3
2	गोरधन पुत्र महावीर 1/3 हिस्सा रहन हिस्सा 1/4 बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा, राजेश पुत्र महावीर हिस्सा 1/3, बुधराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3	179 180 मी. 181 मी.	2.59 0.08 0.04	बारानी 3 बारानी 3 गैमु.सडक
	याग	किता 03	2.71	बारानी 1
3	गोरधन पुत्र महावीर 1/3 हिस्सा रहन हिस्सा 1/4 बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा, राजेश पुत्र महावीर हिस्सा 1/3, बुधराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/3	32 ढाणी 33 ढाणी 34 5	0.01 0.02 1.28 0.80	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1
	याग	किता 04	2.11	बारानी 1

तहसीलदार मण्डावा का आदेशित किया जाता है कि मुताविक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान
लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

यसक्षत मेर दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.07.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा